हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील अपीलान्ट उपस्थित। नहीं वकील रेस्पोन्डेण्ट बहस वकील रेस्पोन्डेण्ट की सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु 19/1/18 को पेश। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, [redacted]	
19/1/18 – पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश। कार्य की अधिकता के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 24/1/18 को पेश। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, [redacted]	
24/1/18 – पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर जमा हो कायदा। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, [redacted]	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/397

श्री माधो सिंह आयु 67 साल पुत्र श्री पहाडूराम जाति स्वर्णकार निवासी 09–एफ–19 महावीर नगर तृतीय कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. डॉक्टर अनिल सोनी पुत्र स्वर्गीय माधो सिंह जाति स्वर्णकार निवासी 09– एफ– 19 महावीर नगर तृतीय, कोटा ।
2. कौशल्या देवी सोनी उर्फ कौशल्या सोनी पत्नी स्वर्गीय श्री माधो सिंह जी निवासी 09–एफ– 19 महावीर नगर तृतीय, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.1.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2010 के द्वारा 24 ग्रामों की कुल किता 3205 रकबा 1531.54 हैक्टर भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ सचिव नगर विकास न्यास कोटा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 04.11.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 10.08.2016 को होने पर उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत की गई है । इससे पूर्व अपीलान्ट हृदय रो, अस्थि रोग, बी0पी0 एवं सुगर रोग एवं गुर्दा रोग से पीडित होने और जेर ईलाज होने के कारण अपीलान्ट को आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में हम उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।अतः रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

6. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2010 के द्वारा 24 ग्रामों की कुल किता 3205 रकबा 1531.54 हैक्टर भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ सचिव नगर विकास न्यास कोटा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि सिवायचक भूमि है जिससे अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज फरमाई जावे ।

7. हमने पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया एवं रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

8. हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2010 के द्वारा 24 ग्रामों की कुल किता 3205 रकबा 1531.54 हैक्टर भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ सचिव नगर विकास न्यास कोटा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है उक्त भूमि से अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होना साबित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2010 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 24.1.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा